फरीदा सिद्दीकी

जेंडर बजटः समावेशी आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता

जेंडर बजटिंग एक परिवर्तनकारी राजकोषीय पहल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके माध्यम से बजटीय प्रक्रियाओं, व्यय संबंधी कार्यक्रमों और नीति-निर्माण में महिला-पुरुष आधारित समानता से जुड़े परिदृश्यों को समावेश करने का प्रयास किया जाता है।

महिला-पुरुष आधारित समानता को न केवल नैतिक अनिवार्यता के रूप में बल्कि समावेशी आर्थिक विकास और सतत विकास के लक्ष्य तक पहुंचने में एक आवश्यक रणनीति के रूप में भी मान्यता दी गई है। एक ओर महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं दूसरी ओर, व्याप्त ढांचागत असमानताओं के कारण अर्थव्यवस्था और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी कमज़ोर हो रही है। इन असमानताओं को अक्सर पारंपरिक बजटीय संरचनाओं द्वारा पोषित किया जाता है, जो महिला-पुरुष आधारित समानता पर केंद्रित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग आवश्यकताओं, भूमिकाओं और योगदानों की उपेक्षा होती है।

इस संदर्भ में, महिला-पुरुष आधारित बजट एक परिवर्तनकारी नीति के संसाधन के रूप में उभरा है। यह सार्वजनिक व्यय की योजना, आवंटन और मूल्यांकन में महिला-पुरुष आधारित समानता के दृष्टिकोण को समावेशित करता है। यह व्यवस्थित पड़ताल के माध्यम से राजकोषीय नीति की निष्पक्षता को चुनौती देता है। यह इस बात की ओर संकेत देता है कि बजटीय प्रावधान महिलाओं

लेखिका मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गच्चीबावली, हैदराबाद, तेलंगाना में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफ़ेसर हैं।
ईमेलः farida@manuu.edu.in

सारणी -1: महिला-पुरुष समानता आधारित बजट के घटकों का वर्गीकरण (केंद्रीय बजट 2025-26)

घटक	निर्धारण	महिला-पुरुष समानता आधारित बजट का प्रतिशत हिस्सा	प्रतिनिधि योजनाएं
भाग क	महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत आवंटन वाली योजनाएं	39 प्रतिशत	मातृत्व लाभ कार्यक्रम, वन-स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन
भाग ख	महिलाओं के लिए 30-99 प्रतिशत आवंटन वाली योजनाएं	61 प्रतिशत	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पीएम आवास योजना, समग्र शिक्षा
भाग ग	महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से कम आवंटन वाली योजनाएं (16,821.28 करोड़ रुपये)	3.75 प्रतिशत	स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल विकास में बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम आंशिक रूप से महिला-पुरुष आधारित लक्ष्यीकरण सहित

स्रोतः जेंडर बजट विवरण, व्यय विवरण, केंद्रीय बजट 2025-26, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

और पुरुषों को अलग-अलग तरीके से कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे शासन में अधिक पारदर्शिता, समानता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। राजकोषीय प्राथमिकताओं को इस दृष्टि से संवेदनशील उद्देश्यों के साथ जोड़कर, महिला-पुरुष समानता आधारित बजट ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने और परिवर्तन के सक्रिय एजेंट के रूप में महिलाओं के क्षमता विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

ऐसा अनुभव किया जाता है कि महिलाओं के हित के प्रति संवेदनशील बजट उनके सशक्तीकरण में योगदान देता है। इतना ही नहीं, इससे कार्य बल में उनकी भागीदारी बढ़ने, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का समर्थन मिलने और पीढ़ियों में मानव पूंजी से जुड़े परिणामों में सुधार होने से विकास के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान मिलता है। इस प्रकार, महिला-पुरुष समानता आधारित बजट को लचीली अर्थव्यवस्थाओं और समावेशी समाजों के निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

महिला-पुरुष समानता आधारित बजट: महिलाओं के नेतृत्व में विकास हेतु रणनीतिक कार्यक्रम

जेंडर बजटिंग एक परिवर्तनकारी राजकोषीय पहल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके माध्यम से बजटीय प्रक्रियाओं, व्यय संबंधी कार्यक्रमों और नीति-निर्माण में महिला-पुरुष आधारित समानता से जुड़े परिदृश्यों को समावेश करने का प्रयास किया जाता है। सार्वजनिक बजट को महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष साधन के रूप में मानने के बजाय, यह महिला-पुरुष आधारित असमानताओं को दूर करने और महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा आवंटन का आकलन और पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के मूल में महिलाओं और पुरुषों पर केंद्रित विश्लेषण को शामिल करके, यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विकास संबंधी प्राथमिकताएं समावेशी, न्यायसंगत

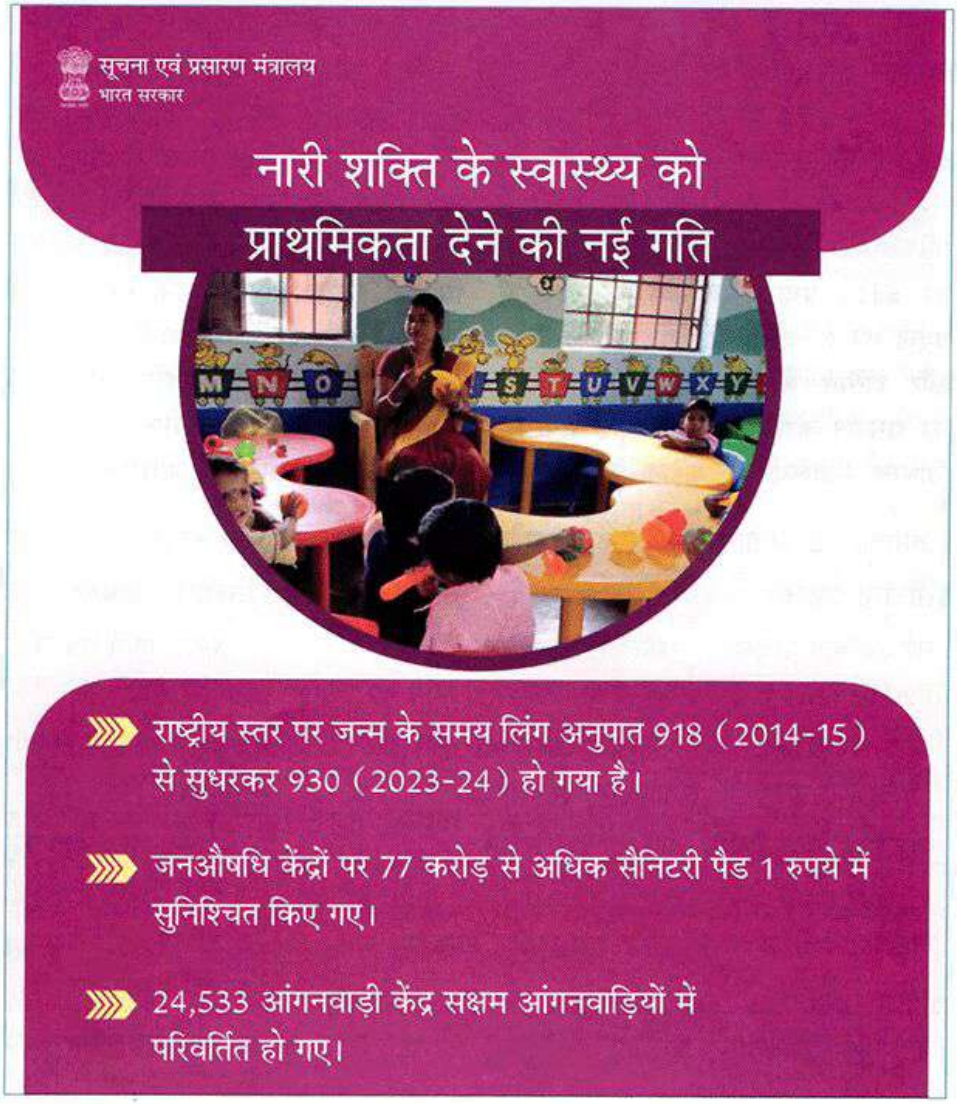

और महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।

भारत में महिला-पुरुष केंद्रित बजट का विकास समावेशी शासन की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। इसकी नींव 1990 के दशक के अंत में रखी गई थी, जिसकी परिणति दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए महिला सशक्तीकरण पर कार्य समूह की ऐतिहासिक 2001 की रिपोर्ट में हुई। इस रिपोर्ट में, औपचारिक रूप से महिला-पुरुष केंद्रित बजट को रणनीतिक नीति संबंधी एक संसाधन के रूप में अपनाने पर ज़ोर दिया गया था। इस सिफारिश ने संस्थागत सुधारों को उत्प्रेरित किया और 2005-06 में, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट के एक नियमित घटक के रूप में महिला-पुरुष केंद्रित बजट (जीबीएस) पेश किया। इसने भारत को दक्षिण एशिया में महिलाओं के प्रति संवेदनशील बजट को अपनाने वाले शुरुआती देशों में शामिल कर दिया, जो कल्याण-उन्मुख दृष्टिकोणों से सशक्तीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन के उद्देश्य से एक कार्यक्रम की ओर बदलाव का संकेत देता है।

भारत के महिला-पुरुष केंद्रित बजट के परिणामस्वरूप कल्याण आधारित योजनाओं पर केंद्रित प्रयास एक व्यापक ढांचे में बदल गए हैं, जो शिक्षा, रोज़गार, उद्यमिता और शासन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न मंत्रालयों में महिला-पुरुष केंद्रित बजट प्रकोष्ठों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित क्षमता निर्माण पहलों जैसे संस्थागत प्रणालियों ने इस ढांचे को मज़बूत किया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, जेंडर बजट अभूतपूर्व रूप से 4.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 2024-25 में 3.26 लाख करोड़ रुपये से 37.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह आवंटन कुल केंद्रीय बजट व्यय का 8.6 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.9 प्रतिशत है। दोनों ही अब तक दर्ज किए गए उच्चतम स्तरों को दर्शाते हैं। ये आंकड़े समावेशी और महिलाओं के प्रति उत्तरदायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) को तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें तालिका में दर्शाया गया है:

भाग ख में किए गए उल्लेखों की बढ़ती प्रमुखता मंत्रालयों और विकास क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक जागरुक कदम को दर्शाती है। हालांकि इस पहल ने लक्षित तौर पर महिला-विशिष्ट योजनाओं के संभावित कमज़ोर पड़ने पर बहस को जन्म दिया है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है। विशेष रूप से, यह तीव्र विकास महिला-पुरुष आधारित समानता पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5 के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो नीति-निर्माण और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर इनके बीच असमानताओं वाले दृष्टिकोणों के एकीकरण पर ज़ोर देता है (यूएन वीमेन, 2021)।

यह प्रवृत्ति संकीर्ण रूप से केंद्रित कल्याणकारी उपायों से अधिक समग्र सशक्तीकरण एजेंडे की ओर एक बदलाव का संकेत देती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं सिर्फ लाभार्थी ही नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन की सक्रिय एजेंट भी हों।

जेंडर बजट 2025-26 की बारीकी से जांच करने पर प्रमुख मंत्रालयों में महिलाओं के विकास के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता दिखाई देती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 43,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो एकीकृत सहायता प्रणालियों जैसे कि मिशन शक्ति और पुनर्गठित सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 सरकार के निरंतर फोकस को दर्शाता है। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास काफी बड़ा हिस्सा है, जिसमें 1.2 लाख करोड़ रुपये मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसे अन्य कार्यक्रमों के लिए समर्पित हैं। दोनों ही योजनाओं में पारिश्रमिक वाले रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सुरक्षित आवास स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशील प्रावधान शामिल हैं। इस बीच, कौशल विकास

तालिका-2: महिलाओं के रोज़गार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सरकारी क्रियाकलाप (2025-26)

योजना/पहल	लक्षित समूह	वित्तीय सहायता	उद्देश्य
नई उद्यमिता योजना (2025–26)	महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पहली बार उद्यमी)	2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण	समावेशी उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा
स्टैंड-अप इंडिया (विस्तारित मॉडल)	महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	प्रशिक्षण के साथ संस्थागत समर्थन	नये व्यवसायों के लिए ऋण और प्रबंधकीय प्रशिक्षण की सुविधा
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	महिला सूक्ष्म उद्यमी	20 लाख रुपये तक का जमानत-मुक्त ऋण	एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी और विस्तार तक पहुंच सक्षम करना
लखपति दीदी पहल (एसएचजी)	एक करोड़ ग्रामीण महिलाएं	आजीविका और उद्यम आधारित सहायता	प्रति महिला प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की आय अर्जित करना

स्रोत: वित्त मंत्रालय (2025), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (2025), ग्रामीण विकास मंत्रालय (2024), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी, 2024)

और उद्यमिता मंत्रालय ने डिजिटल रूप से संचालित कौशल और रोज़गार प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग पांच मिलियन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अपने दायरे का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में सरकार ने मुद्रा प्लस पहल, जिसे पहली बार महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की पेशकश करके समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। 49 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ पांच केंद्र शासित प्रदेशों में फैला यह एकजुट प्रयास एक समग्र-सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अल्पकालिक कल्याण की तुलना में दीर्घकालिक सशक्तीकरण का पक्षधर है और भारत के महिला-पुरुष आधारित बजट में एक परिवर्तनकारी चरण का संकेत देता है।

महिला-पुरुष समानता आधारित बजट 2025-26: महिलाओं और पुरुषों का एकसमान विकास

केंद्रीय बजट 2025-26 महिलाओं के रोज़गार, कौशल विकास, उद्यमिता, संपत्ति स्वामित्व और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए बढ़े हुए आवंटन और केंद्रित पहलों के माध्यम से महिला-पुरुष आधारित समानता के विकास के लिए भारत की मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4.49 लाख करोड़ रुपये के महिला पुरुष सामान्य आधारित पर्याप्त बजट आवंटन के साथ इस वर्ष सभी क्षेत्रों में लैंगिक चिंताओं को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है, जो कुल केंद्रीय बजट का 8.86 प्रतिशत है। यह दृष्टिकोण कल्याण से आगे बढ़कर संरचनात्मक सशक्तीकरण की ओर जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को परिवर्तन के सक्रिय एजेंट के रूप में अर्थव्यवस्था में समावेशित करना है।

रोज़गार, कौशल विकास और उद्यमिता

महिलाओं का रोज़गार और उनकी आर्थिक भागीदारी 2025-26 में महिला-पुरुष समानता आधारित बजट संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार प्रमुख रोज़गार कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर लाभ प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यह ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्षित उद्यमशीलता वित्तपोषण योजनाएं भी चलाती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) को पिछले वित्त वर्ष में 37,654 करोड़ रुपये से ऊपर 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ। महिलाओं को इस योजना के तहत कुल व्यक्ति-दिवसों में से 57.8 प्रतिशत का लाभ निरंतर मिल रहा है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया। हालांकि, इस खर्च का केवल एक-तिहाई महिला-पुरुष समानता आधारित बजट के तहत शामिल किया गया है, जो विभिन्न श्रेणियों के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे ट्रैक करने को लेकर बेहतर तरीकों की आवश्यकता को दर्शाता है।

उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अगले पांच वर्षों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में से पांच लाख नए उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। यह पहल स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम से मिली सीख पर आधारित है और इसमें उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल में ऑनलाइन क्षमता निर्माण के प्रावधान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आगे भी सहायता प्रदान की जाती है।

सारणी-3: प्रमुख सरकारी योजनाओं के माध्यम से बजट आवंटन और महिला संपत्ति स्वामित्व (2024-25 से 2025-26)

योजना / मंत्रालय	प्रमुख विशेषताएँ	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत परिवर्तन	महिला-केंद्रित प्रावधान / परिणाम
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य बीपीएल परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना	54,832 (2025–26 बजटीय अनुमान)	68.7 प्रतिशत ↑[1]	- महिला के नाम पर अनिवार्य पंजीकरण (एकल/संयुक्त) - 74 प्रतिशत घरों का स्वामित्व पूरी तरह/संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है: • 1.02 करोड़ संयुक्त स्वामित्व • 64.31 लाख रुपए केवल महिलाओं के नाम पर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी)	केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया	26,890 (2025–26 बजटीय अनुमान)	16 प्रतिशत ↑[1]	- सशक्तीकरण और कल्याण के लिए व्यापक योजनाएं
मिशन शक्ति	महिला सशक्तीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत व्यापक कार्यक्रम	3,150 (2025–26 बजटीय अनुमान)	117 प्रतिशत ↑[1]	- सामर्थ्य और संबल जैसी उप-योजनाएं शामिल
सामर्थ्य उप-योजना	मिशन शक्ति का घटक सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित	2,521 (2025–26 बजटीय अनुमान)	145 प्रतिशत ↑[1]	- पीएम मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), कामकाजी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय क्रेच योजना शामिल

टिप्पणियां: 1. 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) और 2024-25 के संशोधित अनुमान (आरई) के बीच अंतर के आधार पर प्रतिशत परिवर्तन की गणना की गई है। 2. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल मिलाकर प्रगति रिपोर्ट से प्राप्त महिलाओं के आवास स्वामित्व पर डेटा।

स्रोत:वित्त मंत्रालय (2025); ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023); महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2024)।

इसके तहत महिलाएं 20 लाख रुपये तक के बिना किसी जमानत के लोन ले सकती हैं, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना है। साथ ही, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संबंधी इकोसिस्टम को अत्यधिक बढ़ावा मिलता है, जिसमें एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' में बदलने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये अर्जित करने में सक्षम बनाना है, ताकि सामूहिक उद्यमशीलता और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिल सके।

कौशल विकास के मोर्चे पर, सरकार ने पांच मिलियन महिलाओं को उभरते और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण देने की घोषणा की, जो महिला-पुरुष केंद्रित डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) जेंडर बजट के भाग ए के तहत 100 प्रतिशत महिला-केंद्रित योजना को 229.25 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ। हालांकि यह पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्शाता है, किंतु निरंतर निवेश महिलाओं के लिए डिजिटल समावेशन की ओर निरंतर ध्यान देने का संकेत देता है।

शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: समानता के समर्थक

शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी 2025-26 के बजट में समान विकास के आधारभूत स्तंभ हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 78,572 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक आवंटन मिला है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 16.3 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रमुख स्कूल शिक्षा कार्यक्रम - समग्र शिक्षा अभियान के लिए विभाग के वित्त पोषण में 4,240 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जिससे कुल राशि 41,250 करोड़ रुपये हो गई, जो विभाग के परिव्यय का 52 प्रतिशत से अधिक है।

प्रमुख शैक्षिक और पोषण कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि बालिकाओं के लिए परिणामों में सुधार हेतु एक मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना को वित्त पोषण में 25 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई, जो 12,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसका उद्देश्य पोषण सुरक्षा का समर्थन करना और सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। इसी तरह पीएम-श्री योजना के लिए बजट में 7,500 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जो 66 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि का सूचक है, जिसका उद्देश्य 14,500 स्कूलों को सशक्त बनाना है। इन निवेशों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और किशोरियों में स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी।

भारतनेट परियोजना अगले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक सरकारी माध्यमिक

विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने के लिए परियोजना को धन आवंटित किया गया है। यह पहल खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में लड़कियों के लिए डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण होने से नवाचार और तकनीकी शिक्षा की संस्कृति विकसित होगी।

शैक्षिक सुधारों को एकीकृत करने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने से दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। ये उपाय दूरस्थ शिक्षा को सक्षम बनाते हैं, ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करते हैं और महिलाओं को आजीवन शिक्षण का संसाधन प्रदान करते हैं, जो बच्चे के जन्म या देखभाल की ज़िम्मेदारियों जैसे जीवन की घटनाओं के बाद कार्यबल में फिर से प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संपत्ति का स्वामित्व और आवास सुरक्षा

महिलाओं के दीर्घकालिक सशक्तीकरण के लिए संपत्ति का स्वामित्व महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को केंद्रीय बजट 2025-26 में 54,832 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 69 प्रतिशत अधिक है (वित्त मंत्रालय, 2025)। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के एक प्रमुख घटक के तौर पर या तो अकेले या पुरुष घरेलू सदस्य के साथ संयुक्त रूप से महिला के नाम पर घरों का अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान न केवल घरेलू महिलाओं के योगदान की औपचारिक मान्यता के रूप में कार्य करता है, बल्कि ग्रामीण भारत में उनकी आर्थिक एजेंसी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में भी कार्य करता है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत निर्मित लगभग 74 प्रतिशत मकान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 1.5 करोड़ से अधिक घरों का स्वामित्व एकल या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। पूरे हो चुके 2.41 करोड़ घरों में से, लगभग 64.31 लाख घर केवल महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं, जबकि 1.02 करोड़ घरों का स्वामित्व पति और पत्नी के पास संयुक्त रूप से है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)। स्वामित्व का यह महत्वपूर्ण स्तर न केवल महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें सपार्श्विक के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच भी प्रदान करता है। इससे घरों के भीतर उनके निर्णय लेने के अधिकार को मज़बूती मिलती है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,890 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 23,183 करोड़ रुपये से 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (वित्त मंत्रालय, 2025)। इस बजट के अंतर्गत, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम-मिशन शक्ति को 3,150 करोड़ रुपये मिले, जिसमें 2,521 करोड़ रुपये विशेष रूप से सामर्थ्य उप-योजना के लिए निर्धारित हैं। सामर्थ्य में निम्नलिखित प्रमुख पहल शामिल हैं: प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई), कामकाजी महिला छात्रावास और राष्ट्रीय क्रेच योजना, सभी महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में तैयार की गई हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2024)।

ये सम्मिलित प्रयास संपत्ति स्वामित्व, आवास सुरक्षा और सहायक कल्याण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

को दर्शाते हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान समाज में, इस तरह के नीतिगत साधन संपत्ति नियंत्रण में महिला-पुरुष आधारित समानता की ओर एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाते हैं।

वित्तीय और डिजिटल सशक्तीकरण

2025-26 के केंद्रीय बजट में वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तीकरण में महिला-पुरुष आधारित विभाजन को पाटने पर अधिक ज़ोर दिया गया है। यह मानते हुए कि ऋण और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच आधुनिक आर्थिक भागीदारी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कई लक्षित पहल शुरू की गई हैं:

1. **महिला उद्यमियों के लिए नई सावधि ऋण योजना:** पांच लाख पहली बार महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए टर्म लोन योजना प्रबंधकीय कौशल निर्माण द्वारा समर्थित है, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की दीर्घकालिक स्थिरता और मापनीयता को सक्षम बनाती है।
2. **सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड:** एक नए प्रावधान में सूक्ष्म उद्यमों को ध्यान में रखकर 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश किए गए हैं। पहले वर्ष में दस लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाने हैं, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों के लिए औपचारिक वित्त तक पहुंच आसान हो जाएगी।
3. **महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए लक्षित वित्तपोषण:** महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया गया है। इस लक्षित वित्तीय प्रावधान से खासकर वित्तीय रूप से वंचित और कम बैंकिंग वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक के रूप में काम करने की उम्मीद है।
4. **सेवा पहुंच के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** *भारतनेट* के अनुरूप शैक्षिक संपर्क बढ़ाने की पहल और प्रयासों के तहत, डिजिटल सशक्तीकरण को विकास के एक क्रॉस-सेक्टरल सक्षमकर्ता के रूप में अवधारणा से जोड़ा जा रहा है। लक्षित डिजिटल कौशल कार्यक्रमों के साथ एकीकृत होने पर, यह इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए महिलाओं की क्षमता को रणनीतिक रूप से बढ़ाता है।

ये एकीकृत पहल एक साथ पूंजी, कौशल और बाज़ारों तक पहुंच जैसी अनेक बाधाओं को दूर करके महिलाओं को सक्षम बनाती है। वित्तीय समझदारी, ऋण सहायता और डिजिटल सक्षमता की बहुआयामी रणनीति में उद्यमिता और रोज़गार में लगातार महिला-पुरुष आधारित अंतर को कम करने की क्षमता है।

महिलाओं के प्रति संवेदनशील शासन और संस्थागत जवाबदेही को बढ़ावा

2025-26 का केंद्रीय बजट 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है, जिसे दो दशकों से अधिक समय से जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) की निरंतर मौजूदगी का समर्थन प्राप्त है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि और मंत्रालयों में महिला-पुरुष आधारित घटकों को मुख्यधारा में लाने के कार्य में सराहनीय प्रगति हुई है। इसके बावजूद राजकोषीय इरादों के सार्थक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुसंगतता और जवाबदेही को और बढ़ाना आवश्यक है। यह खंड वर्तमान संस्थागत प्रणाली के बल पर महिलाओं के प्रति उत्तरदायी शासन को मज़बूत करने के लिए दूरदर्शी, डेटा-समर्थित सुझाव प्रस्तावित करता है।

महिला-पुरुष समानता आधारित बजट के परिणामों के साथ अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों - विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5 (लैंगिक समानता) और एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) - प्रगति के बेंचमार्किंग, पिछड़े क्षेत्रों की पहचान और डेटा-संचालित निगरानी का तालमेल बिठाने से नीतिगत सटीकता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2023) इस तरह के तालमेल के लिए एक आधारभूत कार्यक्रम प्रदान करता है। हालांकि, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर और भी अधिक एकजुटता अनिवार्य है।

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की महिलाओं के प्रति संवेदनशील राजकोषीय नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह रोज़गार, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवंटन में वृद्धि और अनेक पहलों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए एक रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उपाय महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, महिला-पुरुष समानता आधारित बजट की वास्तविक प्रभावकारिता संस्थागत सुसंगतता को बढ़ावा देने, आपसी संवेदनशीलता को शामिल करने और परिणाम-उन्मुख निगरानी प्रणाली को संस्थागत बनाकर नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने पर निर्भर करती है। जवाबदेही को मज़बूत करना और महिलाओं का क्षमता निर्माण करने वाले निवेशों को प्राथमिकता देना महिला-पुरुष समानता आधारित बजट को न्यायसंगत और सतत विकास के लिए एक प्रभावी संसाधन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। समानता और क्षमता निर्माण के उत्प्रेरक के रूप में महिला-पुरुष समानता आधारित बजट को केंद्रित करके, भारत निर्णायक रूप से एक विकास प्रतिमान की ओर आगे बढ़ रहा है, जो महिलाओं को महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदारों और समावेशी विकास के वास्तुकारों के रूप में मान्यता देता है। ऐसा करने से, राष्ट्र न केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को आगे बढ़ाता है, बल्कि एक सशक्त और परिवर्तनकारी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए आधारभूत ढांचा भी तैयार करता है। ❑